<u>न्यायालय–अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–02, बांदीकुई, जिला–दौसा।</u>

पीठासीन अधिकारी– हनुमान सहाय जाट, आर.जे.एस.(RJ00640)

(अतिरिक्त कार्यभार)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या–26 सन् 2022, बी.टी.नंबर–13/2023

राजस्थान राज्य बनाम सुरेश वगैरह

Case No.Session Case/26/2022

CNR RJDS060006722022

निर्णय दिनांक–07.03.2026

FIR No.395/2022 पुलिस थाना–बांदीकुई

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

1. सुरेश पुत्र पून्याराम,
2. गिर्राज पुत्र मांगीलाल,
3. कमल पुत्र पांचूराम,
4. मांगीलाल पुत्र मूल्याराम,
5. पून्याराम पुत्र मूल्याराम,

निवासीयान–मालियों की ढाणी मोटूका, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला–दौसा।

–अभियुक्तगण

<u>उपस्थितः</u>–

1.राजस्थान राज्य की ओर से – श्री रमेश चंद सैनी, Add.PP

2.परिवादी की ओर से– – श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर, एडवोकेट

3.अभियुक्तगण की ओर से – श्री छोटेलाल सैनी,श्री लोकेश चन्द्र शर्मा एवं श्री राज सैनी, अधिवक्तागण

अपराध की दिनांक	23.06.2022 शाम 5 बजे
एफआईआर दर्ज कराने की दिनांक	24.06.2022
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	29.09.2022
आरोप विरचित करने की दिनांक	09.02.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	02.07.2024
बहस अंतिम की दिनांक	23.02.2026
निर्णय दिनांक	07.03.2026
दंडादेश की दिनांक (If Any)	07.03.2026

अभियुक्त का विवरणः–

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	सुरेश	03.07.2022	लगातार	धारा 147,148,323,341,427,325,326,307,302 सपठित धारा 149 भा. दं. सं.	दोषसिद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 341, 427, 325, 326, 307/149, 302 भा.द.सं.		3 साल 8 माह 4 दिन
2.	गिर्राज	03.07.	15.04.	धारा	दोषसिद्ध		9 माह

		2022	2023	147,148,323,341,427,325,326,307,302 सपठित धारा 149 भा. दं. सं.	अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 341, 427, 325, 326, 307, 302/149 भा.द.सं.		12 दिन
3.	कमल	03.07.2022	15.04.2023	धारा 147,148,323,341,427,325,326,307,302 सपठित धारा 149 भा. दं. सं.	दोषसिद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 341, 427, 325, 326, 307, 302/149 भा.द.सं.		9 माह 12 दिन
4.	मांगीलाल	03.07.2022	10.01.2023	धारा 147,148,32	दोषसिद्ध अंतर्गत धारा		6 माह 7 दिन

				3,341, 427,3 25,32 6, 307,3 02 सपठित धारा 149 भा. दं. सं.	147, 148, 323, 341, 427, 325, 326, 307, 302/ 149 भा.द.सं.		
5.	पून्याराम	03.07. 2022	28.11. 2022	धारा 147,1 48,32 3,341, 427,3 25,32 6, 307,3 02 सपठित धारा 149 भा. दं. सं.	दोषसिद्ध अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 341, 427, 325, 326, 307, 302/ 149 भा.द.सं.		4 माह 25 दिन

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूची:–

(अ) अभियोजन साक्षी:–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

1.	पी.डब्ल्यू–1 बनवारी	परिवादी/मजरूब
2.	पी.डब्ल्यू–2 बन्नो देवी	मजरूबा
3.	पी.डब्ल्यू–3 अनिता	मजरूबा
4.	पी.डब्ल्यू–4 हीरालाल	फर्द जब्ती, पंचायतनामा, रसीद सुपुर्दगी लाश का गवाह
5.	पी.डब्ल्यू–5 रामगल्ला	चश्मदीद गवाह
6.	पी.डब्ल्यू–6 सुगनी	मजरूबा
7.	पी.डब्ल्यू–7 लखपत सिंह	वाकियाती गवाह
8.	पी.डब्ल्यू–8 बलवीर सिंह	चश्मदीद गवाह
9.	पी.डब्ल्यू–9 हीरालाल	चश्मदीद गवाह
10.	पी.डब्ल्यू–10 अजयपालसिंह	एफएसएल में माल जमा कराने का गवाह
11.	पी.डब्ल्यू–11 सुशीला	चश्मदीद गवाह
12.	पी.डब्ल्यू–12 सतीश सैनी	चश्मदीद गवाह
13.	पी.डब्ल्यू–13 मोतीलाल	फर्द जब्ती का मौतबीर गवाह
14.	पी.डब्ल्यू–14 महेन्द्र	चश्मदीद गवाह
15.	पी.डब्ल्यू–15 हरिओम	वाकियाती गवाह(चांस विटनेश)
16.	पी.डब्ल्यू–16 ध्रुव राम	ट्रैक्टर चालक एवं चश्मदीद
17.	पी.डब्ल्यू–17 ओमप्रकाश	फर्द पंचायतनामा मृतक का मौतबीर गवाह
18.	पी.डब्ल्यू–18 योगेश	नक्शा मौका, इतला व जब्ती का गवाह
19.	पी.डब्ल्यू–19 निहाल सिंह	फर्द गिरफतारी का गवाह
20.	पी.डब्ल्यू–20 राजबहादुर सिंह	फर्द गिरफतारी का गवाह
21.	पी.डब्ल्यू–21 छोटेलाल	हल्का पटवारी व जमाबंदी का गवाह
22.	पी.डब्ल्यू–22 हुकम सिंह	पर्चा बयान, अनुसंधान अधिकारी

23.	पी.डब्ल्यू–23 राजेन्द्र	मालखाना प्रभारी
24.	पी.डब्ल्यू–24 डॉ.अभिषेक जैन	चिकित्सीय साक्षी
25.	पी.डब्ल्यू–25 कमलेश सैनी	फर्द जब्ती रूमाल का गवाह
26.	पी.डब्ल्यू–26 डॉ.जितेन्द्र कुमार	चिकित्सीय साक्षी
27.	पी.डब्ल्यू–27 डॉ.महेन्द्र सिंह	चिकित्सीय साक्षी
28.	पी.डब्ल्यू–28 डॉ0 प्रेमलता	चिकित्सीय साक्षी
29.	पी.डब्ल्यू–29 जयदेव	निवारक निरोध कार्यवाही का गवाह
30.	पी.डब्ल्यू–30 विरेन्द्र सिंह	फई इत्तला,नक्शा मौका
31.	पी.डब्ल्यू–31 नरेश शर्मा	अनुसंधान अधिकारी
32.	पी.डब्ल्यू–32 जनमेजाराम	सुपुर्दगी लाश व पंचायतनामा लाश

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

(स) न्यायालय साक्षीः–

NIL

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः–

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्शपी–1	पर्चा बयान
2.	प्रदर्शपी–2	फर्द जब्ती टूटा मोबाइल
3.	प्रदर्शपी–3	नक्शा मौका घटना स्थल

4.	प्रदर्शपी–4	फर्द जब्ती छोटा रूमाल
5.	प्रदर्शपी–5	फर्द पंचायतनामा
6.	प्रदर्शपी–6	फर्द सुपुर्दगी लाश
7.	प्रदर्शपी–7	फर्द जब्ती खूनालूदा मिट्टी
8.	प्रदर्शपी–8	फर्द जब्ती सादा मिट्टी
9.	प्रदर्शपी–9	नक्शा मौका जब्ती स्थल
10	प्रदर्शपी–10	प्रार्थी हीरालाल का प्रार्थना पत्र
11.	प्रदर्शपी–11	चोट प्रतिवेदन सुगनी देवी
12.	प्रदर्शपी–12 व 13	एफएसएल की प्राप्ति रसीद
13.	प्रदर्शपी–14	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन हरिओम
14.	प्रदर्शपी–15	फर्द तस्दीक निशादेही घटना स्थल
15.	प्रदर्शपी–16	फर्द जब्ती एक बांस का लठ
16.	प्रदर्शपी–17	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
17.	प्रदर्शपी–18	फर्द जब्ती एक बांस का लठ
18.	प्रदर्शपी–19	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
19.	प्रदर्शपी–20	फर्द जब्ती एक बांस का लठ
20.	प्रदर्शपी–21	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
21.	प्रदर्शपी–22	फर्द जब्ती फरसानुमा हथियार
22.	प्रदर्शपी–23	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
23.	प्रदर्शपी–24	फर्द जब्ती एक बांस का लठ
24.	प्रदर्शपी–25	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
25.	प्रदर्शपी–26	फर्द गिरफतारी सुरेश चंद
26.	प्रदर्शपी–27	फर्द गिरफतारी गिर्राज प्रसाद
27.	प्रदर्शपी–28	फर्द गिरफतारी कमल कुमार
28.	प्रदर्शपी–29	फर्द गिरफतारी मांगीलाल

29.	प्रदर्शपी–30	फर्द गिरफतारी पून्याराम
30.	प्रदर्शपी–31 से35	नकल जमाबंदी
31.	प्रदर्शपी–36	मालखाना रजिस्टर
32.	प्रदर्शपी–37	चोट प्रतिवेदन बन्नो देवी
33.	प्रदर्शपी–38 व 39	एक्स–रे रिपोर्ट बन्नो देवी
34.	प्रदर्शपी–40	चोट प्रतिवेदन अनिता देवी
35.	प्रदर्शपी–41	चोट प्रतिवेदन बनवारी लाल
36.	प्रदर्शपी–42 व 43	एक्स–रे रिपोर्ट बनवारी लाल
37.	प्रदर्शपी–44	चोटों की राय के संबंध में पत्र
38.	प्रदर्शपी–45	पोस्टमार्टम रिपोर्ट जगदीश
39.	प्रदर्शपी–46	रोगी उपचार पत्र जगदीश
40.	प्रदर्शपी–47	रोगी उपचार पत्र बनवारी
41.	प्रदर्शपी–48	रोगी उपचार पत्र अनिता
42.	प्रदर्शपी–49	रोगी उपचार पत्र सुगना
43.	प्रदर्शपी–50	रोगी उपचार पत्र बन्नो
44.	प्रदर्शपी–51	रोगी उपचार पत्र बनवारी
45.	प्रदर्शपी–52	इंडोर टिकिट बन्नो
46.	प्रदर्शपी–53	इंडोर टिकिट अनिता
47.	प्रदर्शपी–54	इंडोर टिकिट जगदीश
48.	प्रदर्शपी–55	इंडोर टिकिट सुगना
49.	प्रदर्शपी–56	रजिस्टर की नकल
50.	प्रदर्शपी–57 व 58	मजरूबान की चोटों की राय बाबत तहरीर
51.	प्रदर्शपी–59	निवारक निरोध कार्यवाही
52.	प्रदर्शपी–60	फर्द गिरफतारी गिर्राज
53.	प्रदर्शपी–61	फर्द गिरफतारी शिवलाल

54.	प्रदर्शपी–62	फर्द गिरफतारी कमल
55.	प्रदर्शपी–63	फर्द गिरफतारी मांगीलाल
56.	प्रदर्शपी–64	फर्द गिरफतारी बनवारी लाल
57.	प्रदर्शपी–65	फर्द गिरफतारी हरलाल
58.	प्रदर्शपी–66	फर्द गिरफतारी पूरणमल
59.	प्रदर्शपी–67	फर्द गिरफतारी धर्मराज
60.	प्रदर्शपी–68	फर्द गिरफतारी दिनेश
61.	प्रदर्शपी–69	फर्द गिरफतारी मुकेश
62.	प्रदर्शपी–70	फर्द गिरफतारी महेन्द्र
63.	प्रदर्शपी–71	बनवारीलाल के बयान देने की स्थिति बाबत चिकित्सक की राय
64.	प्रदर्शपी–72	सुगनी के बयान देने की स्थिति बाबत राय
65.	प्रदर्शपी–73	बन्नो के बयान देने की स्थिति बाबत राय
66.	प्रदर्शपी–74	जगदीश के बयान देने की स्थिति बाबत राय
67.	प्रदर्शपी–75	चाक एफ.आई.आर.
68.	प्रदर्शपी–76	दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना सुरेश
69.	प्रदर्शपी–77	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना गिर्राज
70.	प्रदर्शपी–78	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना कमल
71.	प्रदर्शपी–79	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना मांगीलाल
72.	प्रदर्शपी–80	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना पून्याराम
73.	प्रदर्शपी–81 से84	बी.एच.टी.बनवारी, बन्नो देवी, सुगनी, जगदीश
74.	प्रदर्शपी–85	पेन ड्राईव
75.	प्रदर्शपी–86	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
76.	प्रद्रशपी–87 से 121	फोटोग्राफ्स
77.	प्रदर्शपी–122	पत्र बाबत प्रादर्श परीक्षण (टूटा मोबाइल)

78.	प्रदर्शपी–123	दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना सुरेश
79.	प्रदर्शपी–124	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना गिर्राज
80.	प्रदर्शपी–125	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना कमल
81.	प्रदर्शपी–126	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना मांगीलाल
82.	प्रदर्शपी–127	दफा 27 साक्ष्य अधि. की सूचना पून्याराम
83.	प्रदर्शपी–128	पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा एफएसएल को लिखा पत्र
84.	प्रदर्शपी 129 से 130	एफ.एस.एल.रिपोर्ट
85.	प्रदर्शपी–131 से139	एक्स–रे प्लेट

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्शडी–1	धारा 161 द.प्र.सं.के कथन बन्नो देवी
2.	प्रदर्शडी–2	उपजिला कलक्टर, बांदीकुई का प्राथमिक आदेश
3.	प्रदर्शडी–3	उपजिला कलक्टर, बांदीकुई के प्रकरण मांगीलाल बनाम धन्नो वगैरह की आदेशिका की प्रति
4.	प्रदर्शडी–4	उपजिला कलक्टर, बांदीकुई में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मांगीलाल बनाम धन्नी की प्रति
5.	प्रदर्शडी–5	उपजिला कलक्टर, बांदीकुई के प्रकरण मांगीलाल बनाम धन्नी की आदेशिका की प्रति
6.	प्रदर्शडी–6	बयान धारा 161 द.प्र.सं. अनिता देवी

(स) न्यायालय दस्तावेजातः– NIL

(द) आर्टिकल्स सूचीः–

क्र.सं.	आर्टिकल नंबर	विवरण
1.	आर्टिकल–1	बांस की लाठी
2.	आर्टिकल–2	बांस की लाठी तार बंधी हुई
3.	आर्टिकल–3	बांस की लाठी
4.	आर्टिकल–4	बांस की पुरानी लाठी
5.	आर्टिकल–5	फरसानुमा धारदार हथियार

अपराध अंतर्गत धारा 147,148,323,341,427,325,326, 307,302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता

– निर्णय –

दिनांकः07.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मजरूब बनवारी लाल ने जैर इलाज पॉलीट्रोमा वार्ड एस.एम.एस.जयपुर में पर्चा बयान इस आशय का दर्ज करवाया कि दिनांक 23.06.2022 को समय 5 बजे शाम को वह और उसका छोटा भाई जगदीश अपने खेतों की बुवाई भजनी मीणा के ट्रैक्टर से करा रहे थे। तब एकराय होकर सुरेश, मांगीलाल, पूनीराम, गिर्राज, शिवलाल, हरलाल, कमलेश उर्फ कमल, कजोड, मनीष,बाबूलाल, नरेन्द्र, विमला, धन्नी, आरती, सीमा, चंदो, मीरा, राजंती, गुडिया उर्फ मिथलेश आदि अपने हाथों में लाठी डंडा सरिया फरसा खरवाडी लोहे के पाइप लेकर आये और आते ही सुरेश ने फरसा से जगदीश के सिर में मारी। वह अपने भाई को बचाने लगा तो पूनीराम ने पीछे से उसके सिर में बरछी की मारी तथा सुरेश ने फरसे के पाइप से उसके दाहिने हाथ में मारी जिससे हाथ टूट गया। मांगीलाल ने एंगल की

उसकी छाती पर मारी व गिर्राज ने उसकी दाहिनी जांघ पर खरवाडी की मारी जिससे उसका फोन टूट गया व पायजामें की जेब कट गयी। फिर शिवलाल ने लाठी की उसकी पीठ में कंधे पर मारी व शिवलाल ने ही लाठी से उसके बांये पैर के गोडे पर मारी। अनिता बचाने आयी तो विमला ने अनिता के सिर में सरिया की मारी। उसकी मां बन्नो देवी आयी तो धन्नी देवी ने सरिया से प्रहार कर उसकी मां के दोनों हाथ तोड दिये। मिथलेश उर्फ गुडिया आयी और खरवाडी से उसकी मां बन्नो देवी के सिर में मारी। भाभी सुगनी देवी बचाने आयी तो उसके पीछे शीला व आरती खरवाडी लेकर भागी तो आगे से चंदा देवी व मीरा देवी ने उसकी भाभी को गिरा दिया। फिर कमल माली ने खरवाडी से सुगन देवी के खोपडी पर मारी ....आदि उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना बांदीकुई में अभियोग संख्या–395 सन् 2022 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 447, 323,341,307 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,148,341,323, 427, 325, 326,307,302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश किया जो विचारणार्थ सुपुर्द होकर अपर सैशन न्यायाधीश संख्या–1, बांदीकुई को प्राप्त हुआ जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. बहस चार्ज सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 147,148,341,323, 427,325,326,307,302 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के आरोप बनना पाये जाने से उक्त धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करवाये गयेः–अभियोजन साक्षीगण की सूची अनुसार गवाह पी.डब्ल्यू–1 लगायत पी.डब्ल्यू–32 तक कुल 32 गवाह।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः–अभियोजन दस्तावेजात की सूची अनुसार प्रदर्शपी–1 लगायत प्रदर्शपी–139 तक कुल 139 दस्तावेजात। भौतिक साक्ष्य में कुल 5 आर्टिकल पेश किये गये।

5. अभियुक्तगण के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध किये गये। जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, गवाहन द्वारा झूंठ बोलना कथन करते हुए घटना से कोई संबंध नहीं होना,कोई मारपीट नहीं करना व झूंठा फंसाया जाना प्रकट किया है। साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना चाहा परन्तु बावजूद पर्याप्त अवसर के बचाव में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शडी–1 लगायत प्रदर्शडी–6 कुल 6 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये हैं।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अपर लोक अभियोजक व परिवादी के अधिवक्ता ने अपनी जुबानी बहस में तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने मामले को बखूबी साबित किया है। चिकित्सीय साक्ष्य से भी घटना की समपुष्टि होती है। अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अन्त में अभियुक्तगण को सभी धाराओं के आरोप में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गयेः–

1.Cr.Appeal No.1516/2011 Bhagwan Jagannath Markad & Ors.

vs State of Maharashtra.

2.Cr.Appeal No.552–554/2003 State of Rajasthan vs Arjun Singh & Ors.

3. Appeal(Crl.)1184/1998 Gura Singh vs The State of Rajasthan.

4. Cr,Appeal No.2324/2014 Prabhu Dayal vs The State of Rajasthan.

5. Lalji & Ors vs State of U.P.On 17 January,1989

6.Masalti vs State of U.p.On 4 May,1964

7.Cr,Appeal No.162/2006 Ramachandran & Ors. vs State of Lerala

8.Appeal(Crl.)722/2001 State of Rajasthan vs Om Prakash

9.Appeal(Crl.)284–286/2003 Dani Singh and Ors. vs State of Bihar

10.Cr.Appeal No.1479/2015 Motiram Padu Joshi and others vs The State of Maharashtra.

11. Cr.Appeal No.936/2003 State of U.P.vs Kishanpal & Ors.

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहन के कथनों में विरोधाभास है, चिकित्सीय साक्ष्य व वैज्ञानिक साक्ष्य से समपुष्टि नहीं होती है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहन हितबद्ध प्रकृति के हैं। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप संदेह से परे साबित नहीं है। अभियोजन अपना मामला संदेह से परे

साबित करने में असफल रहा है। अन्त में अभियुक्तगण को सभी धाराओं के आरोप में दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

आया दिनांक 23.06.2022 को शाम 5 बजे या उसके लगभग मौजा ग्राम मोटूका में परिवादी के खेत में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अभियुक्तगण ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया एवं घातक आयुध से सज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, मजरूबान बन्नो देवी, अनिता देवी, बनवारी लाल, सुगनी देवी को निश्चित दिशा में जाने से रोककर साशय सदोष कारित किया, कुंदआले से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, मजरूबान बन्नो देवी व बनवारी लाल के साथ कुंदआले से मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर गंभीर चोटें कारित की, मजरूबा बन्नो देवी के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की, मजरूबा बन्नो देवी के धारदार हथियार से सिर में मारी व हत्या का प्रयास किया तथा जगदीश के साथ घातक हथियार लाठी, डंडे,सरिये, फरसा, कुल्हाडी व लोहे के पाइप से मारपीट कर हत्या कारित की ?

यदि हां तो उचित दंड क्या हो?

9. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की

ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 32 गवाहन को पेश कर परीक्षित करवाया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 139 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है। भौतिक साक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी एवं गवाह पी.डब्ल्यू–31 के द्वारा कुल 5 आर्टिकल को पेश कर आर्टिकल अंकित करवाया गया है। मौखिक साक्ष्य में परीक्षित गवाहान में से गवाह **पी.डब्ल्यू–1 बनवारी लाल, पी.डब्ल्यू–2 बन्नो देवी, पी.डब्ल्यू–3 अनिता व पी.डब्ल्यू–6 सुगनी देवी** इस प्रकरण में मजरूब हैं। जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2022 को शाम 5 बजे की बात है। हमारे खेत में बुवाई कर रहे थे। ट्रैक्टर ने हमारे खेत में थोडी जोत निकाली थी तभी सुरेश, मांगीलाल, पूनीराम, कमलेश, गिर्राज व अन्य एक साथ एक राय होकर लाठी डंडे कुल्हाडी फरसा सरिया लेकर आये और आते ही सुरेश ने फरसा की जगदीश के सिर में मारी। गिर्राज ने बनवारी के तारों की लाठी की सीधी जांघ पर मारी। बन्नो देवी व सुगनी देवी आयी तो उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। दिनांक 29.06.2022 को झगडे में आयी चोटों के कारण जगदीश की एस.एम.एस.अस्पताल में मृत्यु हो गयी। गवाह **पी.डब्ल्यू–5 रामगल्या, पी. डब्ल्यू–8 बलवीर सिंह, पी.डब्ल्यू–9 हीरालाल,पी.डब्ल्यू–11 सुशीला, पी.डब्ल्यू–12 सतीश, पी.डब्ल्यू–14 महेन्द्र व पी.डब्ल्यू–16 ध्रुव राम मीना** जो कि इस प्रकरण के चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुए हैं जिन्होंने घटना देखने के संबंध में कथन किये हैं। गवाह **पी.डब्ल्यू–24 डॉ.अभिषेक जैन, पी.डब्ल्यू–26 डॉ.जितेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू–27 डॉ.महेन्द्र सिंह व पी.डब्ल्यू–28 डॉ.प्रेमलता** चिकित्सीय साक्षी हैं। जिसमें से गवाह पी.डब्ल्यू–24 डॉ.अभिषेक जैन चोट प्रतिवेदन का गवाह है, जिसने मजरूबान

बन्नो देवी, अनिता देवी, बनवारी व सुगनी देवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार करना कथन किया है। साथ ही चोटों की प्रकृति के संबंध में कथन किये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू–28 डॉ.प्रेमलता मजरूबान को प्राथमिक उपचार के पश्चात हायर सेंटर को रेफर करने तथा मजरूबान के आयी चोटों की प्रकृति के संबंध में राय देने की गवाह है। जिसने मजरूबान बनवारी, अनिता, सुगनी देवी, बन्नो देवी व मृतक जगदीश को प्राथमिक उपचार के पश्चात हायर सेंटर रेफर करने का कथन किया है तथा प्रदर्शपी–46 लगायत प्रदर्शपी–50 रेफरल कार्ड को प्रदर्शित करवाया है। मजरूब बनवारी व मजरूबा बन्नो देवी की चोटों की प्रकृति के संबंध में कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू–26 डॉ.जितेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू–27 डॉ.महेन्द्र सिंह मेडीकल ज्यूरिष्ट होकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गवाह हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में कथन किये हैं।

10. गवाह **पी.डब्ल्यू–17 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू–18 योगेश, पी.डब्ल्यू–19 निहाल सिंह, पी.डब्ल्यू–20 राजबहादुर सिंह, पी.डब्ल्यू–25 कमलेश सैनी** जो कि इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार की फर्दों के गवाह हैं। गवाह पी.डब्ल्यू–17 ओमप्रकाश फर्द पंचायतनामा लाश, पी.डब्ल्यू–18 योगेश दी गयी इत्तला एवं बरामदगी, पी.डब्ल्यू–19 निहाल सिंह फर्द गिरफतारी, पी.डब्ल्यू–20 राजबहादुर सिंह फर्द गिरफतारी एवं पी.डब्ल्यू–25 कमलेश फर्द जब्ती रूमाल के गवाह हैं जिन्होंने उक्त फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होने की ताइद की है। गवाह **पी.डब्ल्यू–22 हुकम सिंह** जो कि इस प्रकरण में प्रथम अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जयदेव ए.एस.आई.ने पर्चा बयान प्रदर्शपी–1 लाकर पेश किया। दौराने

अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी–3 बनाया, खून से सना रूमाल को जरिये फर्द प्रदर्शपी–4 से जब्त किया। मृतक जगदीश का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनमेजाराम द्वारा पेश करने पर उन्हें शामिल पत्रावली किया तथा धारा 302 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ. नरेश जी को सुपुर्द की। द्वितीय अनुसंधान अधिकारी व गवाह **पी.डब्ल्यू–31 नरेश शर्मा** ने प्रकरण के शेष सम्पूर्ण अनुसंधान के संबंध में कथन किये हैं। गवाह **पी.डब्ल्यू–23 राजेन्द्र** मालखाना इंचार्ज है जिसने प्रकरण में बरामदशुदा माल को जमा मालखाना करने का कथन किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–29 जयदेव** निरोधात्मक कार्यवाही के संबंध में गवाह है। जिसने घटना से एक दिन पूर्व परिवादी व मुलजिम पक्ष के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने का कथन किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–30 विरेन्द्र सिंह** जो कि इस प्रकरण में मुलजिमान से इत्तला प्राप्त करने का गवाह है। जिसने इत्तला प्रदर्शपी–76 लगायत 80 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताइद की है। गवाह **पी.डब्ल्यू–21 छोटेलाल** जमीन की जमाबंदी के संबंध में गवाह है। जिसने जमाबंदी प्रदर्शपी–31 लगायत 35 राजकार्य के लिए अनुसंधान अधिकारी, पुलिस थाना बांदीकुई को जारी करना कथन किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–7 लखपत सिंह** वाकयाति गवाह है जिसने मजरूबान को घायल अवस्था में पडे देखना कथन किया है तथा मुलजिमान को भागते हुए देखने का कथन किया है। गवाह **पी.डब्ल्यू–15 हरिओम** चांस विटनेस है, जिसने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

11. दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश की गयी है उनमें मजरूब बनवानी लाल का पर्चा बयान प्रदर्शपी–1, मजरूब बनवारी व

गवाह हीरालाल की निशादेही से तैयार किया गया नक्शा मौका प्रदर्शपी–3, मृतक जगदीश का फर्द पंचायतनामा व सुपुर्दगी लाश क्रमशः प्रदर्शपी–5 लगायत 6, मजरूब बनवारी लाल द्वारा पेश किये गये टूटे मोबाइल की फर्द जब्ती प्रदर्शपी–2 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

12. घटना स्थल से लिये गये सबूतों के तौर पर खून से सना हुआ रूमाल की फर्द जब्ती प्रदर्शपी–4, खूनालूदा मिट्टी की फर्द जब्ती प्रदर्शपी–7, सादा मिट्टी की फर्द जब्ती प्रदर्शपी–8, नक्शा मौका जब्ती स्थल प्रदर्शपी–9 आदि को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

13. चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में चोट प्रतिवेदन मजरूब सुगनी देवी प्रदर्शपी–10, चोट प्रतिवेदन बन्नो देवी प्रदर्शपी–37, चोट प्रतिवेदन अनिता देवी प्रदर्शपी–40, चोट प्रतिवेदन बनवारी प्रदर्शपी–41, एक्स–रे रिपोर्ट मजरूबा बन्नो देवी प्रदर्शपी–38 व 39, एक्स–रे रिपोर्ट मजरूब बनवारी लाल प्रदर्शपी–42 व 43, चोटों की प्रकृति के संबंध में दी गयी राय प्रदर्शपी–44, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी–45, मृतक जगदीश व मजरूबान के रेफरल कार्ड प्रदर्शपी–46 लगायत 50, इंडोर टिकिट प्रदर्शपी–51 लगायत 56, बी. एच. टी. प्रदर्शपी–81 लगायत 84 आदि को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

14. अभियुक्तगण से संग्रहित की गयी साक्ष्य के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गयी इत्तला प्रदर्शपी–76 लगायत 80, तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्शपी–15, फर्द जब्ती व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी–16 लगायत 25 को प्रदर्शित करवाया गया है।

15. समपुष्टि की साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ्स प्रदर्शपी–87 लगायत 121, पेन ड्राईव प्रदर्शपी–85, धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदर्शपी–86 को पेश कर

प्रदर्शित करवाया गया है। निरोधात्मक कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज को भी प्रदर्शित करवाया गया है तथा जमाबंदी प्रदर्शपी–31 लगायत 35 को प्रदर्शित करवाया गया है। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्शपी–36 को प्रदर्शित करवाया गया है।

16. वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्रदर्शपी–129 लगायत 130 को प्रदर्शित करवायी गयी है। भौतिक साक्ष्य में बरामद किये गये हथियार आर्टिकल–1 लगायत 5 को प्रदर्शित करवाया गया है।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का उसकी प्रकृति के अनुसार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. **प्रत्यक्ष साक्ष्यः–**अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहन में से जो गवाह घटना के समय उपस्थित थे और जिनको घटना में चोटें कारित हुई हैं उन मजरूब गवाहन को भी परीक्षित करवाया गया है तथा चश्मदीद गवाह के रूप में भी गवाहन को परीक्षित करवाया गया है। मजरूब गवाहन के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू–1 बनवारी, पी.डब्ल्यू–2 बन्नो देवी, पी.डब्ल्यू–3 अनिता व पी.डब्ल्यू–6 सुगनी देवी को परीक्षित करवाया गया है। जिनके द्वारा घटना देखने के साथ ही स्वयं के भी चोटें आने का कथन किया गया है। चश्मदीद गवाह के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू–5 रामगल्ला,पी.डब्ल्यू–8 बलवीर सिंह, पी.डब्ल्यू–9 हीरालाल, पी.डब्ल्यू–11 सुशीला, पी.डब्ल्यू–12 सतीश, पी.डब्ल्यू–14 महेन्द्र व पी.डब्ल्यू–16 ध्रुवराम मीना को परीक्षित करवाया गया है। मजरूब गवाहन की साक्ष्य के संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि उक्त गवाह हितबद्ध गवाह हैं इसलिए उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मजरूब गवाहन

प्रकरण के ऐसे गवाह हैं जिनकी घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में स्वयं के द्वारा दी गयी मौखिक साक्ष्य के अलावा उनको कारित चोटों की साक्ष्य भी है जो घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति की ताईद करती है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि मजरूब गवाहन की साक्ष्य के साक्ष्यिक मूल्य के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 9 SCC 719 जरनेल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर–1288/2007 निर्णय दिनांक 26.08.2009** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि घायल गवाह के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य को बडे विरोधाभास और विसंगतियों के आधार पर खारिज करने के ठोस आधार ना हो, क्योंकि घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति स्थापित हो जाती है। अगर यह स्थापित हो जाता है कि उसे इस घटना के दौरान चोट लगी थी तो ऐसे गवाह की गवाही की प्रासंगिकता व प्रभावकारिता होती है। यह तथ्य कि गवाह को घटना के समय व स्थान पर चोटें आयी उसकी इस गवाही का समर्थन करता है कि वह घटना के समय मौजूद था। यदि घायल गवाह से लम्बी जिरह की जाती है और उसकी गवाही को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में भी मजरूबान गवाहन के द्वारा जिरह में ऐसा कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। मजरूब गवाहन की साक्ष्य में कोई बडा विरोधाभास व विसंगति नहीं आयी है। इसलिए मजरूब गवाहन की साक्ष्य को खारिज करने का कोई ठोस आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। बल्कि मजरूब

गवाहन के द्वारा किये गये कथन विश्वास योग्य है।

18. चश्मदीद गवाहन के संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि गवाह पी.डब्ल्यू–5 रामगल्ला सैनी ने ट्रैक्टर धूजी मीना द्वारा लेकर जाना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू–8 बलवीर सिंह ने भजनी मीणा का ट्रैक्टर बुवाई के समय होना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू–9 हीरालाल ने दांयी आंख से कम दिखना स्वीकार किया है। गवाह पी.डब्ल्यू–11 सुशीला ने कथन किया है कि घटना के समय जालोर में थी। गवाह पी.डब्ल्यू–12 सतीश घटना के समय लोटवाडा में काम करता था। गवाह पी.डब्ल्यू–14 महेन्द्र घटना के समय अपने काम पर था। गवाह पी.डब्ल्यू–16 ध्रुवराम मीणा ने स्वयं को चालक होना बताया है। परन्तु एफ.आई.आर.में चालक भजनीराम मीणा होना बताया गया है। इसलिए उपरोक्त गवाहन की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्कों का प्रश्न है गवाह पी.डब्ल्यू–5 रामगल्ला सैनी के द्वारा ट्रैक्टर धूजी मीणा लेकर आना बताया गया है। इस तथ्य के अलावा किसी अन्य तथ्य के संबंध में कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू–9 हीरालाल ने हालांकि जिरह में यह स्वीकार किया है कि मुझे दांयी आंख से कम दिखता है परन्तु यह भी कथन किया है कि बांयी आंख से मुझे सही दिखता है। इन मुलजिमान में सबसे आगे सुरेश व सबसे अन्त में कमलेश चल रहा था। मैं दोनों पक्षों को शुरू से जानता हूं और इसी गांव का हूं। इस प्रकार इस गवाह ने बांयी आंख से सही दिखना भी बताया है। अतः ऐसी संभावना नहीं है कि इस गवाह को कुछ दिखाई नहीं दिया हो। साथ ही इस गवाह के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मैं इसी गांव का होने से दोनों पक्षों को शुरू से जानता हूं। जिससे ऐसी

संभावना भी नहीं है कि गवाह परिवादी व मुलजिम पक्ष को पहचान नहीं पाया हो। गवाह पी.डब्ल्यू–11 सुशीला ने मुख्य परीक्षा में ही जालोर में रहना बताया है। परन्तु घटना के दिन 23 तारीख को मोटूका में आना बताया है। जिसका कारण जिरह में यह बताया है कि मैं घटना वाले दिन अपनी बच्ची को छोडने मोटूका गांव आयी थी और जिरह में यह भी कथन किया है कि झगडा हुआ तब मैं मौके पर ही थी और स्वयं के भी सिर में झगडे में चोट आना बताया है। अतः इस गवाह के द्वारा घटना नहीं देखने के संबंध में दिया गया तर्क अस्वीकार योग्य है। गवाह पी.डब्ल्यू–12 सतीश के द्वारा जिरह में यह कथन किया गया है कि झगडे के समय मैं लोटवाडा में काम करता था परन्तु मैं बाजरे की थैली लेकर घर से खेत पर पहुंच गया था जब मैं खेत पर पहुंचा तब वहां पर सुरेश, मांगीलाल, पूनीराम, कमल, शिवलाल, हरलाल, चंदो, राजंती, सीमा, नरेन्द्र, नरेश, बाबूलाल, शीला, विमला, धन्नी और इनके अलावा घटना स्थल पर कोई और नहीं था। इस प्रकार इस गवाह ने घटना के समय खेत पर पहुंच जाना कथन किया है और खेत पर पहुंचने का कारण बाजरे की थैली लेकर पहुंचना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू–14 महेन्द्र ने स्वयं की छुट्टी 5 बजे होना जिरह में स्वीकार किया है। परन्तु झगडा को 10–15 फिट दूरी से देखना भी कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू–16 ध्रूवराम मीणा ने घटना के समय ट्रैक्टर का चालक होना बताया है और घटना देखना कथन किया है। हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भजनी मीणा का ट्रैक्टर होना अंकित है। पर्चा बयान प्रदर्शपी–1 में खेत की बुवाई भजनी मीणा के ट्रैक्टर से कराना कथन किया गया है। परन्तु उक्त पर्चा बयान में यह अंकित नहीं है कि घटना के समय चालक भजनी मीणा था बल्कि भजनी मीणा का ट्रैक्टर होना बताया गया है।

चालक के रूप में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–16 ध्रुवराम मीणा ने स्वयं के द्वारा घटना स्थल पर ट्रैक्टर का चालक होना बताया गया है तथा घटना देखना बताया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायिक दृष्टांत **AIR 1973 (SC) 2751 Krishan Narain Vs State of Maharashtra, Criminal Appeal No. 14/1970, decided on 07-09-1973** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राव ने जो साक्ष्य दी है, वह पंचनामा के अनुसार झूठी है। परंतु गवाह एक टेप रिकार्डर की तरह नहीं है। जब कोई गवाह एक वर्ष से अधिक समय पश्चात् साक्ष्य देता है तब पूर्णतया घटना के अनुरूप ही साक्ष्य दी जाए, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक दृष्टांत **2015 (6) All LJ 147 Kalicharan & Ors. Vs State of U.P. Criminal Appeal no. 2703/1987, decided on 25-05-2015** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गवाह एक टेप रिकार्डर नहीं है। जब गवाह द्वारा एक वर्ष से अधिक समय पश्चात् साक्ष्य दी जाती है तो तब उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना की प्रत्येक मिनट का विवरण हूबहू दे। छोटे -मोटे विरोधाभास होना स्वाभाविक है इसलिए उनको महत्व नहीं दिया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत **AIR 1983 (SC) 753 Bharwada Bhoginbhai Hirjibhai Vs State of Gujarat, Criminal Appeal no. 68/1977, decided on 24-05-1983** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गवाह से फोटोग्राफिक स्मृति रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। गवाह की स्मृति एक वीडियो टेप की तरह नहीं है, जो मानसिक स्क्रीन पर रि-प्ले की जा सके। गवाह से मानव टेप रिकार्डर की तरह बयान देने की अपेक्षा करना वास्तविकता से परे है। घटना के वास्तविक समय एवं अवधि के संबंध में लोग सामान्यतया अनुमान के आधार पर

कथन करते है। समय के अनुमान का Sence व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। सामान्य व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना के पूरे सिक्वेंस को हूबहू बताए। जो विरोधाभास मामले की जड़ तक नहीं जाए और गवाह के आधारभूत संस्करण को हिला नहीं दे तब तक ऐसे छोटे -मोटे विरोधाभासों को महत्व नहीं दिया जा सकता है। हस्तगत मामले में भी गवाहान के कथनों में जो विरोधाभास बताए गए है वे इस प्रकार के नहीं है कि गवाहान के आधाभूत संस्करण को हिला देवें। अतः उपरोक्त विरोधाभासों के आधार पर गवाहान की संपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

19. जैसा कि न्यायशास्त्री बैंथम ने कहा है कि गवाह न्याय के आंख और कान है। चश्मदीद गवाह की साक्ष्य का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से उनकी विश्वसनीयता को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए जो कि किसी अन्य साक्ष्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अभियुक्तगण की ओर से तर्क रहा है कि चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित गवाहान मृतक के रिश्तेदार है जिन्होंने बढ़-चढ़कर साक्ष्य दी है इसलिए उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। परंतु इस संबंध में अपर लोक अभियोजक एवं परिवादि के अधिवक्ता की ओर से तर्क रहा है कि गवाह मृतक के रिश्तेदार होने मात्र से उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2021 Cr.L.R. (SC) 579 Rajendra @ Rajappa & Ors. Vs State of Karnataka, Criminal Appeal no. 1438/2011, decided on 26.3.2021** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गवाह मृतक के रिश्तेदार होने मात्र से उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य पर

रिश्तेदार होना मात्र अविश्वास का आधार नहीं हो सकता है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की विधि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क अस्वीकार योग्य है।

2. **चिकित्सीय साक्ष्यः–**चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाहन को मौखिक साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवाया गया है तथा चोट प्रतिवेदन, एक्स–रे रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है। चिकित्सीय साक्ष्य के गवाह पी.डब्ल्यू–24 डॉ.अभिषेक जैन ने मजरूबान बन्नो देवी, अनिता देवी, बनवारी व सुगनी देवी की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार करना बताया है तथा उक्त मजरूबान को कारित चोटों की प्रकृति के संबंध में कथन किये गये हैं। इस गवाह के कथनानुसार मजरूबा बन्नो देवी को द्वितीय मैटाकार्पल हड्डी व रेडियस एवं अलना हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया था। साथ ही चेहरे के दांयी तरफ की जाईगोमेटिक हड्डी में भी फ्रैक्चर पाया गया था। मजरूब बनवारी लाल के सीधे हाथ की अलना हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया था तथा स्कल बोन में टैम्परल बोन का अस्थिभंग पाया गया था। मजरूबा सुगनी देवी को कारित चोटों में से चोट संख्या–4 शरीर के मर्म भाग आक्सिपीटल भाग पर पायी गयी थी। गवाह पी.डब्ल्यू–28 डॉ.प्रेमलता के द्वारा दी गयी राय के अनुसार मजरूब बनवारी लाल को आयी चोट कुंद हथियार से कारित थी। अनिता देवी व सुगनी देवी के आयी चोटें भी कुंद हथियार की थी। बन्नो देवी को कारित चोट संख्या–1 धारदार हथियार व चोट संख्या–2 व 3 कुंद हथियार से कारित थी। गवाह पी.डब्ल्यू–26 डॉ.जितेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू–27 डॉ.महेन्द्र सिंह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गवाह हैं। जिनकी राय के अनुसार

मृतक जगदीश की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व की सिर की चोट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की चोट का अंकन भी किया गया है। मृतक जगदीश के सिर में चोट मारने के संबंध में अभियोजन के गवाहन के द्वारा कथन किये गये हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के गवाह पी.डब्ल्यू–26 डॉ.जितेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू–27 डॉ. महेन्द्र कुमार के द्वारा भी मृतक जगदीश के सिर में चोट आने की ताइद की गयी है। साथ ही मजरूबान के द्वारा जिन जगह पर चोटें मारना कथन किया गया है उनकी ताइद चोट प्रतिवेदन व चोट प्रतिवेदन के गवाहन की साक्ष्य से होती है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से भी मजरूब गवाहन व चश्मदीद गवाहन की साक्ष्य की समपुष्टि होती है।

3. **घटना स्थल से संबंधित साक्ष्यः–**पर्चा बयान प्रदर्शपी–1 में घटनास्थल खेत का होना बताया गया है तथा खेत की बुवाई करते समय मारपीट करने के संबंध में कथन किया गया है। नक्शा मौका प्रदर्शपी–3 को प्रदर्शित करवाया गया है। जिसमें घटना स्थल को एक्स स्थान से दर्शाया गया है। उक्त एक्स स्थान वाला पूरा खेत बनवारी लाल मोटूका परिवादी का होना दर्शाया गया है। साथ ही घटना स्थल की अन्य साक्ष्य के रूप में फर्द जब्ती सादा मिट्टी व फर्द जब्ती खूनालूदा मिट्टी की फर्दों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। घटना स्थल से खूनालूदा छोटा रूमाल भी जब्त किया गया है जिसकी फर्द प्रदर्शपी–4 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। नक्शा मौका प्रदर्शपी–3 की पुश्त पर अंकित हालात मौका में यह अंकित किया गया है कि मार्का एक्स ए वह स्थान है जहां पर झगडे में घायल मजरूब जगदीश का अपने खेत की मेड पर खून पडा हुआ है जिसकी फोटो भी ली गयी है। अर्थात घटना स्थल के अलामात से भी घटना स्थल पर घटना कारित होने की ताईद होती

है।

4. **अभियुक्तगण से संगृहीत की गयी साक्ष्यः–** अभियुक्तगण के द्वारा घटना स्थल की तस्दीक के संबंध में तथा मारपीट में काम में लिये गये हथियारों के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत इत्तला दी गयी है और इस इत्तला के अनुसरण में तस्दीक नक्शा मौका तैयार किया गया है तथा हथियारों की बरामदगी की गयी है। तस्दीक नक्शा मौका की ताइद तस्दीक नक्शा मौका के मौतबीर गवाहन के द्वारा की गयी है तथा बरामद हथियारों को भौतिक साक्ष्य में पेश कर आर्टिकल अंकित करवाये गये हैं। बरामद हथियारों में से फरसानुमा हथियार एफ.एस.एल.जांच के लिए भी भिजवाया गया है। हालांकि फरसानुमा हथियार पर मानव रक्त detect नहीं हुआ है। जिसके संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि फरसा पर मानव रक्त detect नहीं होने से फरसा का घटना में उपयोग करना साबित नहीं हुआ है। परन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मजरूबान व चश्मदीद गवाहन के द्वारा फरसा से मृतक जगदीश के चोट मारने के संबंध में कथन किया गया है और अभियुक्त सुरेश के द्वारा चोट कारित करना बताया गया है और अभियुक्त सुरेश की निशादेही से उक्त फरसा को बरामद किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के गवाहन में से गवाह पी.डब्ल्यू–2 बन्नो देवी ने अभियुक्त सुरेश के द्वारा मृतक जगदीश के फरसा की चोट मारने के अलावा स्वयं के सिर पर भी फरसा की चोट मारना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू–28 डॉ.प्रेमलता ने मजरूबा बन्नो देवी के चोट संख्या–1 को धारदार हथियार से कारित होना बताया है। धारदार हथियार के रूप में एक मात्र हथियार फरसा अभियुक्त सुरेश की निशादेही से

बरामद किया गया है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की संदेहजनक स्थिति नहीं है कि चोट कारित करने के लिए धारदार हथियार फरसा का प्रयोग अभियुक्त सुरेश के द्वारा किया गया। अभियोजन के गवाहन की इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य है। साथ ही इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। एफएसएल की वैज्ञानिक साक्ष्य का अत्यधिक महत्व परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में होता है। हस्तगत प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट के निष्कर्ष का नकारात्मक प्रभाव चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य पर नहीं पड़ता है। अतः अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5. **वैज्ञानिक साक्ष्यः–** अभियोजन पक्ष की ओर से एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्रदर्शपी–129 व 130 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। प्रदर्शपी–129 खूनालूदा मिट्टी व सादा मिट्टी के संबंध में है। जिसके अनुसार प्रदर्शपी–2 व प्रदर्शपी–3 की मिट्टी समान है। अर्थात खूनालूदा मिट्टी व सादा मिट्टी समान प्रकृति की पायी गयी है। प्रदर्शपी–130 खूनालूदा रूमाल और FTA DNA Profile के संबंध में है। FTA मृतक जगदीश के DNA के संबंध में लिया गया है तथा रूमाल पर जो खून लगा हुआ था उसका DNA Profile से मिलान करने पर मैचिंग पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि मृतक जगदीश का खून रूमाल पर पाया गया हैं रूमाल घटना स्थल से ही जब्त किया गया है। इस रूमाल को मृतक जगदीश के खून में सने होने के संबंध में जब्त किया गया है जिसकी ताइद एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्रदर्शपी–130 से होती है। हालांकि खूनालूदा मिट्टी पर मानव रक्त तो पाया गया है परन्तु DNA Profile पूर्ण नहीं होने से उसके संबंध में किसी प्रकार का निष्कर्ष् नहीं निकाला गया है। अतः एफ. एस. एल.

रिपोर्ट प्रदर्शपी–129 व 130 से भी घटना स्थल से कलेक्ट की गयी साक्ष्य खूनालूदा रूमाल पर मृतक जगदीश का खून लगा होने की ताइद होती है।

6. **फोटोग्राफ की साक्ष्यः–** अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में फोटोग्राफ प्रदर्शपी–87 लगायत प्रदर्शपी–126 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। फोटोग्राफ में अभियुक्तगण की उपस्थिति व हथियारों की मौजूदगी दर्शित होती है। परन्तु इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि फोटोग्राफ हीरालाल के द्वारा पेश किये गये हैं जिसके द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और जिस व्यक्ति के द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया गया है उसको साक्ष्य में पेश कर अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं करवाया गया है। फोटोग्राफ को हीरालाल के द्वारा पेश किया गया है जिसकी ओर से एक आवेदन थानाधिकारी को फोटोग्राफ पेश करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रदर्शपी–10 के रूप में अभियोजन की ओर से प्रदर्शित करवाया गया है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि घटना के संबंध में फोटो वीडियो वायरल हुए हैं जिसके संबंध में घटना के दौरान के वायरल वीडियो तथा फोटो पेश कर रहा हूं जिन्हें जांच में शामिल कर मुलजिमान के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की कृपा करें। आवेदन की उक्त इबारत से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन धारा 65 बी के प्रमाण पत्र के संबंध में नहीं है बल्कि फोटोग्राफ व वीडियो प्रस्तुत करने के संबंध में है। धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र चन्द्रशेखर तिवाडी के द्वारा पेश किया गया है जिसे अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं करवाया गया है परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से मजरूब गवाहन व चश्मदीद गवाहन की प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अतः

अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना अभियोजन की अन्य साक्ष्य के लिए घातक नहीं है।

7. **अभियोजन के गवाहन की साक्ष्य में विरोधाभासः**–अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष के गवाहन की साक्ष्य में विरोधाभास है। परन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण गवाहन के द्वारा मारपीट के संबंध में एवं घटना के संबंध में एक स्वर में साक्ष्य दी गयी है। गवाहन के कथनों में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर गवाहन की साक्ष्य को नजरअंदाज किया जा सके। मुख्य विरोधाभास प्रथम सूचना रिपोर्ट में भजनी मीणा का ट्रैक्टर होने के संबंध में होने बाबत अभियुक्तगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है, परन्तु एक तथ्य के बारे में अलग कथन किये जाने मात्र से गवाहन की सम्पूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है तथा सम्पूर्ण पर्चा बयान को ही विरोधाभासी नहीं माना जा सकता है। आपराधिक मामलों में "Falsus In Uno falsus In Omnibus" के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई है। यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षीगण की साक्ष्य में से आंशिक सत्यता प्रमाणित होती है तो ऐसी आंशिक सत्यता को स्वीकार किया जा सकता है। आंशिक असत्यता के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

8. **अभियुक्तगण की प्रतिरक्षाः–** अभियुक्तगण की ओर से यह प्रतिरक्षा रही है कि मृतक जगदीश को कारित चोट खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर के पीछे

लगे हुए हल की लग जाने से आयी है। इस संबंध में चोट प्रतिवेदन के गवाह पी.डब्ल्यू–26 डॉ.जितेन्द्र कुमार से जिरह में प्रश्न पूछा गया है, जिसके द्वारा इस बाबत संभावना स्वीकार की गयी है तथा जिरह में कथन किया गया है कि ट्रैक्टर के हलों पर गिरने से जगदीश के सिर में लगी चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा के संबंध में अभियुक्तगण की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियोजन के गवाहन की साक्ष्य को देखा जावे तो उसमें ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहन की साक्ष्य अविश्वसनीय हो जावे तथा अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा विश्वसनीय हो जावे बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहन के द्वारा घटना के संबंध में अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किये गये हैं तथा मृतक जगदीश को सिर में अभियुक्त सुरेश के द्वारा धारदार हथियार से चोट कारित करना बताया गया है। जिसकी समपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य, हथियार बरामदगी की साक्ष्य व अन्य साक्ष्य से होती है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियोजन कहानी का अनुसमर्थन होता है। अतः अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा पर विश्वास करने का कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। लिहाजा अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा साबित नहीं है।

9 **एफ.आई.आर.विलम्ब से दर्ज करवानाः–**अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से तर्क रहा है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है। एफआईआर देरी से दर्ज करवाने के संबंध में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुआ विलंब इस प्रकरण के लिए घातक है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2023(3) CJ(Cri.)

(SC) 851 Harilal Etc. Vs State of Madhya Pradesh, Criminal Appeal no. 2216–2217/2011, decided on 05.09.2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब प्राथमिकी को विलंबित किया जाता है तो उचित स्पष्टीकरण के अभाव में न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए। अभियोजन के मामले में बढ़ाव–चढ़ाव की साक्ष्य का निवारण करने के लिए साक्ष्य का विस्तार से विवेचन करना चाहिए क्योंकि विलंब बढ़ाव–चढ़ाव तथा काल्पनिक साक्ष्य के अवसर प्रदान करता है साथ ही न्यायिक दृष्टांत 2023 Cri.L.J. 1757 State of Rajasthan Vs Manna Singh & Ors. D.B. Criminal Appeal No. 317/1990, decided on 9.2.2023 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गवाहों के पिता की हत्या होने के बावजूद भी वे घर के अंदर गए और किसी को रिपोर्ट नहीं की तथा पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले किसी को नहीं बताया। गवाहों का ऐसा आचरण संदेहजनक है इसलिए एफआईआर दर्ज करवाने में विलंब करना मामले के लिए घातक है जबकि इस संबंध में अपर लोक अभियोजक एवं परिवादि के अधिवक्ता की ओर से तर्क रहा है कि एफआईआर दर्ज करवाने में हुआ विलंब का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। इलाज में व्यस्त रहने के कारण एफआईआर दर्ज करवाने में हुआ विलंब प्रकरण के लिए घातक नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2006(1) Cr.L.R. (Raj.) 627 Salim Khan Vs State of Rajasthan D.B. Criminal Appeal No. 697/1998, decided on 6.1.2006 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुए

विलंब का उचित रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुआ विलंब प्रकरण के लिए घातक नहीं है। हस्तगत प्रकरण में परचाबयान प्रदर्श पी 1 के अनुसार घटना दिनांक 23–06–2022 की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24–06–2022 को दर्ज करवाई गई है अर्थात घटना के एक दिन पश्चात् रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जिसके संबंध में कारण बताते हुए कहा गया कि वे इलाज में व्यस्त थे। इलाज में व्यस्त होने के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसके संबंध में इलाज से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है। घायल व्यक्ति को समय पर उपचार उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इसलिए इलाज में व्यस्त रहने का जो स्पष्टीकरण एव कारण बताया गया है वह एफआईआर दर्ज करवाने में हुए विलंब का उचित एव संतुष्टिप्रद स्पष्टीकरण है। संतुष्टिप्रद स्पष्टीकरण होने की दशा में एफआईआर दर्ज करवाने में हुआ विलंब प्रकरण के लिए घातक नहीं है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से दिया गया उक्त तर्क अस्वीकार योग्य है।

10. **गंभीर उपहति धारदार हथियार से गंभीर उपहति एवं हत्या के प्रयास के संबंध में:–**मारपीट कर चोट कारित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मजरूब गवाहन एवं चश्मदीद गवाहन के द्वारा कथन किये गये हैं। चिकित्सीय साक्षी के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड–24 डॉ.अभिषेक जैन ने मजरूबा बन्नो देवी को कारित चोटों में से चोट संख्या–2 बांये हाथ की हथेली में द्वितीय मैटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर बताया है। चोट संख्या–3 दाहिने हाथ में दोनों हड्डी रेडियस एवं अलना में फ्रैक्चर होना बताया है। मजरूब बनवारी लाल की चोट संख्या–2 सीधे हाथ में अलना हड्डी का फ्रैक्चर होना बताया है। इस प्रकार मजरूबान को कारित साधारण चोटों के अलावा गंभीर प्रकृति की चोटें

कारित होना भी चोट प्रतिवेदन के गवाह पी.डब्ल्यू–24 डॉ.अभिषेक जैन द्वारा बताया गया है। मजरूबान बन्नो देवी व बनवारी लाल को गंभीर प्रकृति की चोटें कारित करना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है।

20. गवाह पी.डब्ल्यू–24 डॉ.अभिषेक जैन ने मजरूबा बन्नो देवी को कारित चोट संख्या–1 चेहरे में दांयी तरफ जाईगोमेटिक हड्डी में फ्रैक्चर होना बताया है। साथ ही उक्त चोट के हथियार के संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू–28 डॉ.प्रेमलता ने कथन किया है कि मजरूबा बन्नो देवी के आयी चोट संख्या–1 धारदार हथियार से कारित थी। साथ ही इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य में चोट प्रतिवेदन, एक्स–रे रिपोर्ट, एक्स–रे प्लेट आदि को भी प्रदर्शित करवाया गया है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मजरूबा बन्नो देवी को कारित चोट संख्या–1 धारदार हथियार से कारित गंभीर प्रकृति की चोट होना भी अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है।

21. जहां तक जुर्म धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2015 11 SCC 366 JAGE RAM & ORS. Versus STATE OF HARYANA CRIMINAL APPEAL NO. 92/2015 Decided On : 28–01–2015** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 307 के आवश्यक तत्व – (i) हत्या करने का इरादा और (ii) आरोपी द्वारा किया गया कृत्य है। इरादे का पता इस्तेमाल किए गए हथियार के प्रकार, चोटों की प्रकृति, चोट लगने की जगह और चोट की गंभीरता से लगाया जा सकता है। तत्काल अपीलकर्ता ने फर्सी का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित के सिर पर प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप

पीड़ित दो दिनों तक कोमा में रहा। ऑपरेशन न होने पर पीड़ित जीवित नहीं बच पाता। निचली अदालतों ने धारा 307 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराकर सही निर्णय लिया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण में हत्या करने के इरादा के संबंध में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को देखा जावे तो मजरूबा बन्नो देवी को कारित चोट संख्या–1 को अभियुक्त सुरेश के द्वारा फरसे की मारना बताया गया है। हथियार फरसा गंभीर प्रकृति का हथियार है तथा धारदार हथियार है। जहां तक चोटों की प्रकृति का प्रश्न है तो मजरूबा बन्नो देवी को कारित चोट संख्या–1 धारदार हथियार से कारित है तथा गंभीर प्रकृति की चोट है। चोट लगने की जगह को देखा जावे तो चोट संख्या–1 चेहरे पर दांयी तरफ कारित है जो कि शरीर का मर्म भाग है। कारित चोट भी गंभीर प्रकृति की है। साथ ही मजरूबा बन्नो देवी के बी.एच.टी.प्रदर्शपी–82 के अनुसार मजरूबा बन्नो देवी दिनांक 24.06.2022 से 29.6.2022 तक सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती रही है। अर्थात मजरूबा का पांच दिन इलाज चला है। इस दौरान मजरूबा की स्थिति के संबंध में प्रदर्शपी–73 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। जिसमें डॉ.दिलीप गुप्ता के द्वारा मजरूबा का बयान देने की स्थिति में नहीं होने की राय दी गयी है। जिसके अनुसार दिनांक 24.6.2022 को मजरूबा बयान देने की स्थिति में नहीं थी। जिससे यह प्रकट होता है कि मजरूबा को कारित चोट गंभीर प्रकृति की थी और मजरूबा गंभीर हालत में थी। अतः पत्रावली पर मौजूद सम्पूर्ण साक्ष्य से हत्या कारित करने का इरादा होने के संबंध में निष्कर्ष निकलता है। अतः जुर्म धारा–307 भारतीय दंड संहिता

का आरोप भी संदेह से परे प्रमाणित है।

11. **धारा 302 भारतीय दंड संहिता के आरोप के संबंध में:–**धारा 302 भा.द.स.के आरोप को साबित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में दी गयी परिस्थितियों के अनुसार निम्न को साबित करने की आवश्यकता है:–

1. **मृतक को शारीरिक क्षति कारित किया जाना:**–मृतक को शारीरिक क्षति कारित करने के संबंध में मजरूब गवाहन व चश्मदीद गवाहन के द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि मृतक जगदीश के सिर पर धारदार हथियार से अभियुक्त सुरेश के द्वारा चोट कारित की गयी थी तथा अन्य सहअभियुक्तगण की उपस्थिति एवं अन्य मजरूबान के साथ मारपीट करने के संबंध में भी कथन किये गये हैं। शारीरिक क्षति को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के अलावा चिकित्सीय साक्ष्य भी मौजूद है। शारीरिक क्षति साबित करने के पश्चात चोट की प्रकृति को भी साबित किया जाना आवश्यक है। चोटों की प्रकृति के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी–45 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू–26 डॉ.जितेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू–27 डॉ.महेन्द्र सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिनके द्वारा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोट बतायी गयी है तथा चोट को प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त बताया गया है। अतः चोट की प्रकृति को अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है।

2. चोट की प्रकृति साबित करने के पश्चात शारीरिक क्षति करने का आशय साबित करना आवश्यक है। शारीरिक क्षति कारित करने का आशय होने के संबंध में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को देखा जावे तो मजरूब गवाह

पी.डब्ल्यू–1 बनवारी लाल, पी.डब्ल्यू–2 बन्नो देवी, पी.डब्ल्यू–3 अनिता व पी.डब्लयू–6 सुगनी देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ट्रैक्टर से हमारे खेत में जोत निकाल रहे थे तब सुरेश ,मांगीलाल, पूनीराम, कमलेश, गिर्राज एकराय होकर लाठी,डंडे, कुल्हाडी, फरसा, सरिया लेकर आये और आते ही सुरेश ने फरसा की जगदीश के सिर में मारी। बचाने आये तो गिर्राज ने बनवारी की जांघ पर मारी, बन्नो देवी व सुगनी देवी के साथ लाठी डंडो से मारपीट की। गवाहन के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण हथियारों से सज्जित होकर आये और आते ही हथियारों से मारपीट करना शुरू कर दिया हथियारों से सज्जित होकर आना शारीरिक क्षति कारित करने का आशय प्रकट करता है। अतः शारीरिक क्षति कारित करने का आशय भी अभियोजन पक्ष की ओर से बखूबी साबित किया गया है।

3. शारीरिक क्षति कारित करने का आशय साबित करने के पश्चात यह साबित करना आवश्यक है कि जो क्षति कारित हुई थी वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–27 डॉ.महेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक जगदीश की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोट थी जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार मृतक जगदीश को कारित चोट संख्या–1 मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त होने के संबंध में भी अभियोजन के गवाह पी.डब्लयू–27 डॉ.महेन्द्र सिंह द्वारा कथन किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से कारित चोट मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त होना बखूबी साबित है। अतः भारतीय दंड सहिता

की धारा 300 के आवश्यक तत्वों को अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है। अतः धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित है।

22. जहां तक सामान्य उद्देश्य का प्रश्न है तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के गवाहन के द्वारा मृतक जगदीश को सिर की चोट अभियुक्त सुरेश के द्वारा कारित करना बताया गया है। परन्तु शेष अभियुक्तगण की उपस्थिति के संबंध में एवं शेष अभियुक्तगण के हाथों में लाठी डंडा होने के संबंध में अभियोजन के गवाहन द्वारा कथन किया गया है। साथ ही शेष अभियुक्तगण की निशादेही से मारपीट में काम में लिये गये हथियार लाठी को अनुसंधान के दौरान बरामद किया गया है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आर्टिकल अंकित करवाया गया है व भौतिक साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है। न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2004 (SC)4570 Dani Singh and Ors. vs State of Bihar** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति साबित हो जाने पर विधि विरूद्ध जमाव का गठन एवं धारा 149 भारतीय दंड संहिता का दायित्व साबित होता है। हस्तगत प्रकरण में शेष अभियुक्तगण की उपस्थिति के अलावा उनके हाथों में मारपीट करने के हथियार लाठी होना भी साबित किया गया है तथा शेष अभियुक्तगण द्वारा घटना में सक्रिय भाग लेना साबित किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से शेष अभियुक्तगण का सामान्य उद्देश्य होना भी संदेह से परे प्रमाणित है।

आदेश

23. अतः अभियुक्तगण **सुरेश** पुत्र पून्याराम, **गिर्राज** पुत्र मांगीलाल, **कमल** पुत्र पांचूराम, **मांगीलाल** पुत्र मूल्याराम एवं **पून्याराम** पुत्र मूल्याराम, निवासीयान–मालियों की ढाणी मोटूका, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला–दौसा को जुर्म धारा 147, 148, 341, 323/149, 427/149, 325/149, 326/149, 307/149 व 302/149 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(हनुमान सहाय जाट)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बांदीकुई, जिला दौसा

दण्ड के प्रश्न पर

24. दंड के प्रश्न पर विद्वान अपर लोक अभियोजक व परिवादी के अधिवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण में से मांगीलाल व पून्याराम 65 साल से अधिक उम्र के होकर वृद्ध हैं तथा अभियुक्तगण सुरेश, गिर्राज व कमल युवा है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्वदोषसिद्धि को साबित नहीं किया गया है। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाया जावे। अन्त में अभियुक्तगण को कम से कम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी की ओर से अभियुक्तगण सुरेश, कमल, मांगीलाल, पून्याराम व गिर्राज को समुचित दंड से दंडित करने की प्रार्थना की गयी।

25. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप प्रमाणित पाया गया है। जुर्म धारा 302 भा.द.सं. का जुर्म गंभीर प्रकृति का है। इस प्रकार के अपराधों में किसी भी प्रकार का नरमी का रूख अपनाया जाना समाज के हितों के प्रतिकूल है। दण्ड के प्रश्न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत 2010 12 SCC 532 Jameel Versus State of U.P. CRIMINAL APPEAL NO. OF 2009 Decided on : NOVEMBER 06, 2009. में धारित किया है कि यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि अपराध की प्रकृत्ति एवं अपराध के तरीके तथा कंडक्ट को देखकर Proper Sentence पारित किया जावे। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 2015 0 AIR(SC) 3142 Raj Bala Versus State of Haryana & Ors. Etc. CRIMINAL APPEAL NOs. 1049–1050 OF 2015 (@ SLP(Crl) Nos. 4099–4100 of 2015) Decided On : 18–08–2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि आपराधिक कानून का प्रमुख उद्देश्य पर्याप्त, न्यायसंगत और आनुपातिक दंड लगाना है जो अपराध की गंभीरता, प्रकृति और अपराध करने के तरीके के अनुरूप हो, साथ ही समाज के सामाजिक हित और अंतरात्मा को भी ध्यान में रखा जाए।

26. उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों की विधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा हस्तगत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितयों व अभियुक्तगण की आयु, शील, पूर्ववृत, सामाजिक व आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाना उचित पाया जाता है।

दण्डादेश

27. अतः अभियुक्तगण **सुरेश** पुत्र पून्याराम, **गिर्राज** पुत्र मांगीलाल, **कमल** पुत्र पांचूराम, **मांगीलाल** पुत्र मूल्याराम एवं **पून्याराम** पुत्र मूल्याराम, निवासीयान–मालियों की ढाणी मोटूका, पुलिस थाना बांदीकुई, जिला–दौसा को जुर्म धारा 147, 148, 341, 323/149, 427/149, 325/149, 326/149, 307/149 व 302/149 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित पाये जाने पर निम्न प्रकार दंडित किया जाता हैः–

1. **धारा 147 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **01 वर्ष के साधारण** कारावास से एवं **1,000/– रुपए (अक्षरे एक हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **01 माह** का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

2. **धारा 148 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **02 वर्ष के साधारण** कारावास से एवं **2,000/– रुपए (अक्षरे दो हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **02 माह** का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

3. **धारा 341 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **01 माह के साधारण कारावास** से एवं **500/– रुपए (अक्षरे पांच सौ रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **07 दिवस का साधारण कारावास** पृथक से भुगतेगा।

4. **धारा 323/149 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **01 वर्ष के साधारण कारावास** से एवं **1,000/– रुपए (अक्षरे एक हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम

अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **01 माह का साधारण कारावास** पृथक से भुगतेगा।

5. **धारा 427/149 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **01 वर्ष के साधारण** कारावास से एवं **1,000/– रुपए (अक्षरे एक हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **01 माह** का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

6. **धारा 325/149 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **05 वर्ष के साधारण** कारावास से एवं **1,0000/– रुपए (अक्षरे दस हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **05 माह** का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

7. **धारा 326/149 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **07 वर्ष के साधारण** कारावास से एवं **2,0000/– रुपए (अक्षरे बीस हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **07 माह का साधारण** कारावास पृथक से भुगतेगा।

8. **धारा 307/149 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **10 वर्ष के साधारण** कारावास से एवं **30,000/– रुपए (अक्षरे तीस हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **10 माह** का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

9. **धारा 302/149 भा.दं.सं.** के अपराध के आरोप के लिए प्रत्येक अभियुक्त को **आजीवन कारावास** से एवं **50,000/– रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपए मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त **01 वर्ष** का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

10. सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावें।

11. उपरोक्तानुसार सजा वारण्ट मुर्तिब हो।

28. प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना एवं लिए गए सैम्पल से संबंधित कोई मालखाना यदि लम्बित हो तो अपील/निगरानी अवधि गुजर जाने के पश्चात अपील/निगरानी पेश न होने की सूरत में नियमानुसार नष्ट किया जावें तथा अपील/निगरानी पेश होने की दशा में माननीय अपील/निगरानी न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारण किया जावें।

29. अपील/निगरानी अवधि गुजर जाने के पश्चात् अपील/निगरानी पेश नहीं होने की सूरत में अर्थदण्ड राशि कुल **5,77,500/–** रुपये (अक्षरे पाँच लाख सतहत्तर हजार पांच सौ रुपये मात्र) में से **5,00,000/–** रुपये मृतक की पत्नी, **रामगल्ला पत्नी जगदीश उम्र 26 वर्ष, निवासी मोटूका पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा** को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (1)(ख)(ग) के तहत प्रतिकर स्वरूप लौटायी जावे। शेष राशि अर्थदण्ड के रूप में रहेगी।

30. अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में अपनी नियमित हाजरी बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

31. अभियुक्तगण को धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(धारा 481 बी.एन.एस.एस. 2023) के तहत 30,000–30,000/– रुपए के जमानत मुचलके पेश करने हेतु आदेशित किया जाता है।

32. निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को तुरत उपलब्ध करवायी जावे।

(हनुमान सहाय जाट)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बांदीकुई, जिला दौसा

33. निर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय जाट)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बांदीकुई, जिला दौसा